COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

66

IN THE COURT OF M.P. REVENUE BOARD: GWALIOR (M.P.)

REV. CASE No. ____________ OF 2008

R 1618-IV/08

श्री अवनिधि पटैरया एडवोकेट द्वारा आज दि० 15-12-08 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

APPLICANT: Ram Dayal Rathore, Aged about 48 Years, S/o Mitthulal Rathore, R/o Village-Mohara, Teh- Bandhavgarh District-Umaria (M.P.)

VERSUS

RESPONDENTS:

1. State of Madhya Pradesh.
2. Vinod Kumar S/o Rajkumar Soni R/o Pali, Tehsil-Pali, District-Umaria M.P.
3. Umesh Prasad Pathak S/o Rudra Prasad Pathak, R/o Village- Mahura, Tehsil-Bandhavgarh, District- Umaria M.P.
4. Balmukund Pathak S/o Shri Rudra Prasad pathak,
5. Gokaran Singh S/o Baliram Cheepa R/o Village- for Respondent No. 485 Mahura, Tehsil- Bandhavgarh, District-Umaria M.P.

Filed by Narmidhi Parhasya Adv.
15-12-2008

REVISION CASE UNDER SECTION 50 OF M.P. L.R. CODE 1959

Being aggrieved from the impugned order 01/06/2007 passed in Case No.208/ Nigrani/05-06 (Balmukund pathak V/s State of M.P. and others), the applicant named above preferred this Revision before the Hon'ble Court on the following facts and grounds -:

15/12/08

Cont. 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1618/दो/2008 जिला–उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6/10/17	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 208/2005–06 निगरानी पारित आदेश दिनांक 01.06.2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक रामदयाल द्वारा एक आवेदन पत्र अनुविभागीय के न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया। कि बादग्रस्त भूमियो का नामान्तरण अनावेदक द्वारा गलत तरीके से किया है और उसके मुआवजा बिना उसकी जानकारी के तैयार किया गया है। अतः भुगतान रोका जावे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र को पंजीबद्ध करते हुये दिनांक 14.10.2004 को जॉच प्रतिवेदन के साथ प्रकरण कलेक्टर उमरिया को प्रेषित किया गया। और कलेक्टर	

उमरिया से निर्देश प्राप्त करने के बाद प्रकरण नायब तहसीलदार की ओर भेजा गया जहॉ पर दिनांक 25.11.2004 को प्रकरण पुनः अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रेषित कर दिया .गया। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 09.02.2005 को प्रकरण कलेक्टर उमरिया को इस टीप के साथ भेजा। कि प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। प्रकरण को स्वप्ररेणा निगरानी में लेकर आदेश पारित करें। कलेक्टर उमरिया द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में पंजीबद्व किया जाकर दिनांक 31.12.2005 को आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक द्वारा अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी। जो आदेश दिनांक 01.06.2007 से स्वीकार की गयी। इसी आदेश के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– आवेदक की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा प्रकरण में विधिवत् सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया है, जो विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया है कि कलेक्टर जिला उमरिया

द्वारा प्रकरण को अधिक समय पश्चात् स्वमेव पुनरीक्षण में लिया है जबकि अधिक समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता है इस संबंध में 1996 आर.एन 286, 80 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

4– अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि प्रकरण में जो आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित किया गया है वह विधिवत् एवं सही है ऐसी स्थिति में वर्तमान पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

5– उभय पक्षों के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण को कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा 15 वर्ष पश्चात् स्वमेव पुनरीक्षण में लिया है जबकि इस संबंध में सर्वोच्य न्यायालय, उच्च न्यायाल द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांत 1981 (1) म.प्र. वीक्ली नोटस 26, 2010 (3) जे.एल.जे 77, 2010 आर. एन 409 2001 आर.एन. 15, 2011 आर. एन 298 से स्पष्ट है कि स्वप्ररेणा पुनरीक्षण शक्तियो की व्याप्ति मामला व्यक्तिगत पक्षकारो

के मध्य 12 वर्ष का लम्बा समय व्यतीत ऐसी शक्तियॉ प्रयुक्त नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में जो आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित किया गया है उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई वैधानिक कारण नही है। चूकि इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील नं. 123/2008 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2008 से प्रकरण का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाकर अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 208/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 01.06.2007 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य